



राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद (NSC), अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, नविरक नरिध, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ।

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और इसकी संरचना, कार्य और नहितिारथ ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभयिक्त की उस याचिका पर सुनवाई की जसिमें उसने अपने वरिद्ध बहिर में दर्ज प्राथमकियौं को तमलिनाडु की प्राथमकी से जोड़ने की मांग की थी ।

- आरोपी कथति तौर पर कठोर [राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम \(NSA\), 1980](#) के तहत तमलिनाडु में बहिर के मज़दूरों पर हमले के बारे में फर्जी खबर फैला रहा था ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980:

वषियः

- NSA सार्वजनकि व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लयि वर्ष 1980 में बनाया गया एक नविरक नरिध कानून है ।
- नविरक नरिध कानून भवषिय में कसिी व्यक्ती को अपराध करने से रोकने और/या भवषिय में अभयोजन से बचने के लयि उसे हरिसत में लेना है ।

- संवधिान का अनुच्छेद 22 (3) (b) राज्य को सुरक्षा और सार्वजनकि व्यवस्था के कारणों से नविरक नरिध और व्यक्तीगत स्वतंत्रता पर प्रतबिध की अनुमतति देता है ।
- अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है क नविरक नज़रबंदी का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून कसिी व्यक्ती को तीन महीने से अधिक की अवधि के लयि हरिसत में रखने का अधिकार नहीं देगा ।

सरकार की शक्तियौं:

- NSA केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देता है कविह कसिी व्यक्ती को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतकिल कसिी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लयि उसे हरिसत में ले सकता है ।
- सरकार कसिी व्यक्ती को सार्वजनकि व्यवस्था को बाधति करने से रोकने या समुदाय के लयि आवश्यक आपूरति और सेवाओं के रखरखाव के लयि भी हरिसत में ले सकती है ।

कारावास की अवधि:

- इसके तहत हरिसत में रखने की अधिकितम अवधि 12 महीने है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद की स्थापना:

- यह अधिनियम एक [राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद](#) के गठन का भी प्रावधान करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा परषिद (NSC):

■ परिचय:

- भारत में NSC एक उच्च स्तरीय निकाय है जो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक नीति और रक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देता है।
 - 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चर्चा के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों को देखता है।
- प्रधानमंत्री NSC का अध्यक्ष होता है।
- इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।

■ सदस्य:

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)
- **चीफ ऑफ डेफेंस स्टाफ (CDS)**
- उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
- रक्षा मंत्री
- वदेश मंत्री
- गृह मंत्री
- वित्त मंत्री
- **नीति आयोग** का उपाध्यक्ष

■ कार्य:

- NSC भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित है, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क सुनिश्चित करता है एवं खुफिया तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर नेतृत्व को सलाह देता है।
 - यह देश की सुरक्षा स्थिति की नियमिती समीक्षा भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत बदलावों पर प्रधानमंत्री को सफाई करता है।
- यह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश की सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- यह उभरते सुरक्षा खतरों का विश्लेषण कर सरकार को प्रारंभिक चेतावनी देता है और विभिन्न आकस्मिक सुरक्षा संबंधी योजनाएँ तैयार करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की आलोचना:

- शक्ति का दुरुपयोग: NSA की प्रमुख चुनौतियों में से एक अधिकारियों द्वारा इसका संभावित दुरुपयोग है। कानून सरकार को एक वर्ष तक बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हरिसत में लेने की शक्ति देता है।
 - असहमति को दबाने या राजनीतिक वरिधियों को नशाना बनाने के लिये अधिकारियों द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन: यदि NSA का दुरुपयोग किया जाता है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
 - कानून मुकदमे के बिना नविरक नरीध का प्रावधान करता है, जसिनषिपकष सुनवाई के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तितगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- पारदर्शिता की कमी: NSA के साथ एक और चुनौती नरीध/कारावास प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
 - बंदियों को अक्सर उनके कारावास के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और कारावास आदेशों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पारदर्शिता की इस कमी से अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।
- कानूनी चुनौतियाँ: आलोचकों ने तर्क दिया है कि कानून असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी NSA के तहत जारी किये गए कई हरिसत आदेशों को रद्द कर दिया है।
- सीमति प्रभावशीलता: हालाँकि NSA का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकना है, इसके बावजूद इसकी प्रभावशीलता सीमति है।
- साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्तियों को हरिसत में लेने से खतरे को रोकने के बजाय कुछ मामलों में यह व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाकर समस्या को बढ़ा भी सकता है।

आगे की राह

- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: हरिसत में लिये गए लोगों को उनके कारावास के कारणों की जानकारी देकर और नरीध आदेशों को सार्वजनिक करके सरकार को नरीध प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये। इससे अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
- सख्त कार्यान्वयन: अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि NSA को कानून के अनुसार, सख्ती से लागू किया जाए और राजनीतिक

वरिधियों को लक्षति करने या असहमति को दबाने हेतु इसका दुरुपयोग न कथि जाए ।

- **न्यायकि नरीक्षण को मज़बूत करना:** NSA के तहत नविरक नरीध आदेशों के न्यायकि नरीक्षण को यह सुनश्चिति करने हेतु मज़बूत कथि जाना चाहयि कविे मनमाने या असंवैधानकि नही हैं ।
- **खुफयि जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रति करना:** सरकार को खुफयि जानकारी एकत्र करने और अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि जो क नविरक नरीध का सहारा लयि बना राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरों को रोकने में मदद कर सकते हैं ।

स्रोत: इंडयिन एकसपरेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/national-security-act-1980-1>

